उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 13 ₹ 20/- 1-15 दिसम्बर, 2018

दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर बवाल

निजामुद्दीन दरगाह

और पढ़ें...

- विधानसभा चुनावों में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि
- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध
- कोलकाता का पहला मुस्लिम मेयर
- हरियाणा में इमामों और खादिमों के वेतन में वृद्धि

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 13

1-15 दिसम्बर, 2018

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर बवाल
II. मुम्बई हमले में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि
III. करतारपुर कॉरिडोर पर उर्दू मीडिया
IV. विधानसभा चुनावों में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि
V. उर्दू प्रेस की नजर में विधानसभा चुनाव
VI. हज पर समझौता

विश्व

I. आसिफ अली ज़रदारी के जेल जाने की सम्भावना
II. क्या विदेश में है आसिया बीबी?
III. अफगानिस्तान में चौदह फौजियों की हत्या
IV. तिलोर के शिकार की अनुमति
V. अमेरिकी सीनेट में सउदी युवराज की निंदा का प्रस्ताव
VI. ईसाईयों द्वारा यहूदियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता

पश्चिमी एशिया

I. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध
II. यमन में अकाल
III. खशोग्गी की हत्या का वीडियो
IV. इजरायल पर ओमान की कृपा
V. लीबिया में जिहादियों द्वारा हत्याएं

अन्य

I. निशाने पर गिरिराज सिंह
II. संघ के खिलाफ दुष्प्रचार
III. नगर निगम के कर्मचारी पर हमला
IV. तब्लीगी जमात का इज्तिमा
V. कोलकाता का पहला मुस्लिम मेयर
VI. दिल्ली में कब्रों की समस्या
VII. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त
VIII. चालीस लाख मुसलमानों के सिर पर लटकी तलवार
IX. दरगाह में लाखों रूपये की धोखाधड़ी
X. हरियाणा में इमामों और खादिमों के वेतन में वृद्धि
XI. बढ़ रहे हैं तीन तलाक के मामले

सारांश

इस्लामी दरगाहों में शताब्दियों से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। अजीब बात है कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर बवाल मचाने वाल वामपंथियों और मुस्लिम संगठनों को इस्लामी दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं पर लगे प्रतिबंध का कभी ध्यान नहीं आया। हाल में ही कुछ छात्राओं ने इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने इस संबंध में केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली में वैसे तो हजारों दरगाहें और मजार हैं मगर उनमें से 22 खासतौर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए दिल्ली को इस्लामी साहित्य में '22 ख्वाजों की चौखट' का नाम दिया गया है। अजीब बात है कि इसमें से किसी में भी मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उन्हें दरगाह परिसर के बाहर ही कुरान का पाठ, फातिहा आदि पढ़ना पढ़ता है।

तब्लीगी जमात देश में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। हाल में ही बुलन्द शहर में तब्लीगी जमात ने एक इज्तिमा का आयोजन किया था जिसमें 20 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। गोवध की घटना के बाद जिला बुलन्दशहर के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की जिसके कारण इज्तिमा का मामला दब गया। एक इज्तिमा के आयोजन पर दो सौ से ढाई सौ करोड़ रुपए का खर्च आता है। तब्लीगी जमात प्रतिवर्ष सैकड़ों इज्तिमा देश के विभिन्न भागों में करता है। प्रश्न उठता है कि इन पर होने वाले खर्च की धनराशि कहां से प्राप्त होती है? कुछ संगठनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है।

हाल के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो अप्रत्याशित विजय प्राप्त हुई है उस पर उर्दू प्रेस ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व जो वायदे पूरे नहीं किए थे उनके कारण जनता का मोह नरेन्द्र मोदी सरकार से भंग हो गया है। उर्दू समाचारपत्रों ने अपने सम्पादकीय में यह मत भी व्यक्त किया है कि भाजपा और संघ की ओर से देश में जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था उसे देश की जनता ने ठुकरा दिया है। खास बात यह है कि इन चुनावों के कारण विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या चार गुना बढ़ गई है।

पाकिस्तानी सेना नए प्रधानमंत्री इमरान खान को ढाल बनाकर अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का समूचा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहा है। अब नया निशाना पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली ज़रदारी हैं। पाकिस्तान का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उनके सहयोगियों की फर्मों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार सरकार आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण जुटाने में लगी हुई है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

करतारपुर कॉरिडोर इन दिनों पाकिस्तान के समाचारपत्रों में छाया हुआ है। करतारपुर साहिब का पवित्र गुरुद्वारा पाकिस्तान सीमा के भीतर स्थित है। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे थे और यहीं पर उनकी समाधि है। पाकिस्तान और भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि सिख श्रद्धालु बिना वीजा–पासपोर्ट के समाधि के दर्शन कर सकें। इस अवसर पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान गए थे। उनका यह दौरा काफी विवादित रहा।

राष्ट्रीय

I

दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर बवाल

इंकलाब (11 दिसम्बर) के अनुसार दिल्ली की विख्यात् दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा गरमा रहा है। महिलाओं और अन्य वर्ग की ओर से यह मुद्दा उठाया जाता है कि मुस्लिम सन्तों की दरगाहों पर महिलाओं के प्रवेश क्यों प्रतिबंधित हैं?हाल में ही इस विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ छात्रों के द्वारा इस संबंध में दायर की गई याचिका पर केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार, पुलिस और दरगाह प्रबंधकों को 11 अप्रैल तक अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है और इस संबंध में दरगाह के बाहर एक नोटिस भी लगा हुआ है। याचिका में मांग की गई है कि केन्द्र सरकार और अन्य विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं। इस संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि अधिकांश मुस्लिम दरगाहों में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दरगाह के बाहर दरवाजे पर ही दुआ मांग सकती हैं। इस संदर्भ में यह उललेख करना भी जरूरी है कि इससे पूर्व अनेक दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप भी करना पड़ा है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली को '22 ख्वाजाओं की चौखट' कहा जाता है। इनमें से अधिकांश मज़ार पुरुषों के हैं लेकिन कुछ मज़ार महिलाओं के भी हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्यों अधिकांश दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है? जबकि पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति है।

जहां तक हजरत निजामुद्दीन दरगाह का संबंध है इसके परिसर में 30 से अधिक कब्रें हैं। इनमें से सबसे बड़ा मज़ार हजरत निजामुद्दीन औलिया का है। दरगाह प्रबंधक कमेटी का कहना है कि मज़ार पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। प्रबंधकों का कहना है कि हजरत निजामुद्दीन बड़े सूफियों में हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अल्लाह की उपासना में गुजारा। दरगाह के उप-सज्जादा नशीन फरीद अहमद निजामी का कहना है कि हजरत का मज़ार काफी छोटी जगह पर है। यहां क्योंकि काफी लोग दर्शन के लिए आते हैं और भीड़-भाड़ में महिलाओं को परेशानी हो सकती है इसलिए मज़ार के बाहर दो स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। वहां पर वे दुआ, कुरान-ख्वानी (कुरान पाठ) और ज़ियारत कर सकती हैं। महरौली स्थित हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार से पहले ही महिलाओं को रोक दिया जाता है। दरगाह की दीवारों पर जालियां लगी हुई हैं। वहीं से खड़े होकर महिलाएं दुआ मांगती हैं। निजामुद्दीन दरगाह के एक प्रबंधक के अनुसार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मरने से पहले वसीयत की थी कि इनके मरने के बाद किसी महिला को उनके मजार पर दाखिल होने की अनुमति न दी जाए। क्योंकि वह पर्दे में रहते थे और किसी महिला से नहीं मिलते थे। इसालिए परम्परा के अनुसार मजार से 40 कदम पहले ही महिलाओं को रोक दिया जाता है। महिलाएं बाहर रहकर ही दुआ, कुरान-ख्वानी और फातिहा पढ़ सकती हैं। प्रबंधकों का कहना है कि इस दरगाह के पास ही इनकी पत्नी और पालने वाली महिलाओं की भी मजार हैं। वहां पर पुरुषों के अंदर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सिर्फ महिलाएं ही अंदर जा सकती हैं। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में शाहजहां की बेटी जहांआरा के मजार पर भी सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं। बहुत से ऐसे मजार हैं जहां पुरुष नहीं जाते हैं।

II

मुम्बई हमले में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि

सियासत (9 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार सरकारी तौर पर स्वीकार किया है कि 2008 में मुम्बई पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इमरान खान ने वाशिंगटन

पोस्ट को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि उन्होंने अपनी सरकार को इस संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। हम इस आतंकवादी घटना के मामले को सुलझाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाए। भारत शुरू से दावा करता आ रहा है कि 26/11 आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का हाथ था। मगर पहली बार है कि पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर इस बात को स्वीकार किया है। इमरान खान ने कहा कि इस हमले के पीछे जिस भी व्यक्ति का हाथ है उनके खिलाफ पकिस्तान में सरकार मुकदमा चलाएगी और ऐसा करना स्वयं पाकिस्तान के हित में है। ज्ञातव्य है कि 26 नवम्बर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते से मुम्बई पहुंचे थे और उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाते हुए 166 व्यक्तियों को जिनमें 18 सुरक्षा अधिकारी भी थे, मौके पर मार दिए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इमरान खान ने कहा कि इस हमले के ऑपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञातव्य है कि कांग्रेस के इशारे पर एक मुस्लिम पत्रकार अजीज बर्नी ने दावा किया था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोसाद का हाथ है। उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका विमोचन कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री दिग्विजय सिंह ने अनेक जगहों पर किया था। इस पुस्तक के अनेक भारतीय भाषाओं में संस्करण भी प्रकाशित किए गए थे। पुस्तक में यह भी दावा किया गया था कि हेमन्त करकरे की हत्या संघ परिवार के लोगों ने की है। रोचक बात है कि इस हमले से तीन दिन पूर्व स्वयं अजीज बर्नी कुछ अन्य भारतीय पत्रकारो के साथ कराची में थे। हालांकि एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के जीवित पकड़े जाने से कांग्रेस के इस झूठे प्रचार का पर्दाफाश हो गया था।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (27 नवम्बर) के अनुसार अमेरिका ने मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी देने वालों को 50 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि इस हमले में छह अमेरिकी नागरिक मारे गए थे और दस वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस हमले की योजना बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस हमले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके लिए मौके की तलाश में हैं।

III

करतारपुर कॉरिडोर पर उर्दू मीडिया

इंकलाब (9 दिसम्बर) ने भारत-पाकिस्तान के बीच सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाने का स्वागत किया है और दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि भारत में डेरा बाबा नानक में उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी जबकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी आधारशिला रखी। योजना के अनुसार अगर गुरु नानक के 550वें जन्मदिवस तक यह कॉरिडोर पूर्ण हो जाता है तो इससे निश्चित रूप से दोनो देशों के संबंधों में सुधार होगा और सैनिक खर्च में भी कमी आएगी। इस समारोह से सिद्ध हो गया है कि धर्म दिलों को जोड़ने का काम करता है न कि तोड़ने का। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले तो सार्क बैठक की दावत ठुकरा दी और अब उन्होंने शिलान्यास समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया। हालांकि विदेश मंत्री होने के कारण उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था। इस तरह से उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधार की दिशा में आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पहले पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों को भारत भेजना बंद करे उसके बाद ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। समाचारपत्र का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय राजनेता इस मामले में भ्रांति के शिकार हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि सच है कि पाकिस्तानी शासकों का रूख दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में सकारात्मक नहीं रहा है। मगर इसके बावजूद करतारपुर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

समाचारपत्र ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी काफी सकारात्मक थी कि जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो भारत-पाक के बीच कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता?

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (27 नवम्बर) के अनुसार डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की आधारशीला रखी गई। इस अवसर पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमेरन्द्र सिंह इस अवसर पर मौजूद थे। गुरु नानक देव जी 18 वर्षों तक करतारपुर में रहे थे और वहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा।

अखबार मशरिक (12 दिसम्बर) ने करतारपुर कॉरिडोर को शुरू करने के लिए पाकिस्तान को बधाई दी है और कहा है कि इससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार होगा और आपसी संबंधों पर जो बर्फ जमी हुई है वह पिघलनी शुरू हो जाएगी। समाचारपत्र ने कहा है कि सिख काफी देर से यह मांग कर रहे थे। अब उनकी मांग को दोनों देशों ने मान लिया है। इससे निश्चित रूप से सिखों को भारी प्रसन्नता होगी।

इंकलाब (1 दिसम्बर, 2018) के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह ने कहा है कि गुरुद्वारा करतारपुर के कॉरिडोर बनने से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को शानदार ढंग से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस लक्ष्य से एक कमेटी भी बनाई गई है। भारत की ओर से रागी जत्थे भी विशेष तौर पर पाकिस्तान भेजे जाएंगे।

IV

विधानसभा चुनावों में मुस्लिम विधायकों की संख्या में वृद्धि

इंकलाब (15 दिसम्बर) के अनुसार हाल में ही देश में जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें विजयी मुसलमानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विजयी विधायकों की संख्या में चार गुना तक वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि 2013 में इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर तीन मुस्लिम विधायक विजयी हुए थे जबकि 2018 के चुनााव में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। राजस्थान में मुस्लिम विधायकों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। 2013 में राजस्थान में दो मुस्लिम विधायक जीते थे जबकि इस बार 2018 में आठ मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। समाचारपत्र के अनुसार कांग्रेस ने अपने 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे जिनमें से सात विजयी हुए जबकि एक मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुना गया है। भाजपा ने सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को टिकट दिया था जो कि टोंक से सचिन पायलट के मुकाबले में हार गए हैं। सबसे कड़ा मुकाबला पोखरण में रहा जिसमें कांग्रेसी उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार को सिर्फ 800 मतों के अंतर से हराया। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है यहां से पहले सिर्फ एक ही मुस्लिम विधायक था लेकिन अब इनकी संख्या दो हो गई है जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार आरिफ अकील भोपाल से सन् 1990 से जीतते ही आ रहे हैं। दूसरे मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद हैं जो कि भोपाल केन्द्र से चुनाव जीते हैं। भाजपा ने पूर्व कांग्रेसी मंत्री रसूल अहमद सिद्दीकी की बेटी फातिमा को भोपाल उतर से अपना उम्मीदवार बनाया था जो कि चुनाव में हार गई हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ का संबंध है, वहां मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात मात्र 2 प्रतिशत है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस ने दो-दो मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। जिसमें कांग्रस के मोहम्मद अकबर विजय रहे। सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार तेलंगाना में उतारे गए थे जिनकी संख्या 26 थी। इनमें से आठ उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारे थे। जबकि कांग्रेस ने नौ, टीआरएस ने आठ और टीडीपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इनमें से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सात और टीआरएस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीता जबकि कांग्रेस के सभी मुस्लिम उम्मीदवार हार गए।

इंकलाब (12 दिसम्बर) के अनुसार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे जिनमें से सात विजयी रहे। विजयी उम्मीदवारों में रफीक खां (आदर्श नगर), अमीन कागजी (किशनपोल) दानिश अबरार (सवाई माधोपुर), शालेह मोहम्मद (पोखरण), जाहिदा खान (कामवन), अमीन खान (शिव) और हाकम अली फतेहपुर क्षेत्र से विजयी हुए हैं। भाजपा ने केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार परिवहन मंत्री युनूस खान को टोंक से मैदान में उतारा था मगर वे सचिन पायलट के मुकाबले चुनाव में हार गए।

V

उर्दू प्रेस की नजर में विधानसभा चुनाव

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (15 दिसम्बर) ने हाल के विधानसभा चुनावों पर टिप्पणी करते हुए 'सियासत में नया मोड़' शीर्षक से अपने सम्पादकीय में लिखा है कि देश के 5 राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनावों में अपनी जीत दर्ज करवा रही थी उसे पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झटका दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने पंजाब में सता में आकर इसमें वृद्धि की। हाल के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ में कांग्रेस को जो विजय प्राप्त हुई है उससे प्रतीत होता है कि देश की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। समाचारपत्र ने लिखा है कि एक ओर तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल देश की जनता के साथ भेदभाव कर रहे थे और इसके अतिरिक्त दलितों और मुसलमानों में भी असुरक्षा की भावना बढ़नी शुरू हो गई थी। इस कारण इन वर्गों में भारी बेचैनी थी। भाजपा ने चुनाव से पूर्व देश के पिछड़ेपन को दूर करने, युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने और सुरक्षा के लिए जो वायदे किए थे उन्हें पूरे नहीं किए। आज जरूरत इस बात की है कि भाजपा आत्ममंथन करे और इस बात का विश्लेषण करे कि उसे किन कारणों से चुनाव में क्षति उठानी पड़ी है। इन चुनावी परिणामों से कांग्रेस के हौंसले बुलंद हुए हैं जबकि भाजपा के सामने आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को बनाए रखने की चुनौती है। भाजपा को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों से शिक्षा लेने की जरूरत है।

जमाते इस्लामी के मुखपत्र **दावत** (16 दिसम्बर) ने कहा है कि इन चुनावों से सिद्ध हो गया है कि जनता की सोच बदल रही है। छतीसगढ़ में 15 वर्ष बाद सत्ता भाजपा के हाथों से निकल गई है और उसे जबर्दस्त हार मिली है। मिजोरम में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है और वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को भारी सफलता मिली है। 119 सदस्यों वाले सदन में टीआरएस को 88 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है।

समाचारपत्र ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। इन चुनाव परिणामों से साफ है कि जिन तीन राज्यों में भाजपा की सरकार थी वहां के मतदाताओं ने उनके खिलाफ फतवा दिया है। मगर उन्होंने किसी अन्य पार्टी को इस योग्य नहीं समझा कि वे अपने दम पर सरकार बनाएं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस को सहारे की जरूरत पड़ी। मध्य प्रदेश में बसपा ने साफ कर दिया कि वह भाजपा का समर्थन नहीं करेगी। राजस्थान में भी उसकी यही स्थिति थी। इन परिणामों से कांग्रेस को एक नया जीवन मिला है। साफ है कि मतदाता भाजपा से संतुष्ट नहीं थे और वे सता में परिवर्तन चाहते थे मगर वे कांग्रेस को इस काबिल नहीं समझते थे कि इसके हाथ इतने मजबूत कर दिए जाएं कि वह लापरवाह हो जाए।

सियासत (12 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर उसे बधाई दी है और कहा है कि ये चुनावी नतीजे भाजपा की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने जिस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसकी जगह राम मंदिर, मूर्तियों की राजनीति और नामों के परिवर्तन पर

ध्यान दिया गया। इससे चिढ़कर मतदाताओं ने भाजपा को ठुकरा दिया और उसे तीन राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। तेलंगाना के चुनाव परिणाम भी हैरान करने वाले हैं। तेलुगू देशम पार्टी के साथ गठजोड़ के बावजूद कांग्रेस यहां कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाई और उसे पहले से भी कम मत मिले हैं। टीआरएस ने मैदान मार लिया है। कांग्रेस को यहां बीस सीटों का नुकसान हुआ है। मिजोरम में कांग्रेस को जबर्दस्त हार का सामना करना पड़ा है। इन चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि जनता ने नरेन्द्र मोदी की बर्बाद करने वाली आर्थिक नीतियों को ठुकरा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और वितीय संकट के कारण जनता में भारी रोष है। जिसके कारण उसे हिन्दी भाषी राज्यों में भारी धक्का लगा

इत्तेमाद (12 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि देश की जनता ने तीन प्रमुख राज्यों में भाजपा को ठुकरा दिया है जबकि दो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय दलों की बजाय क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दी गई है। टीआरएस को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन के कारण शानदार सफलता मिली है जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सता में आया है। गत चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का सफाया गया हो गया था मगर इन चुनावों में उसे एक नया जीवन मिला है और कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न देखने वाले भाजपाईयों के स्वप्न चकनाचूर हो गए हैं। सबका साथ, सबका विकास नारे लगाकर भाजपा सता में आई थी मगर सता में आने के बाद इसने देश में साम्प्रदायिसक तनाव को भड़काया। कई राज्यों में गोकशी की आड़ में गुंडागर्दी हुई।

जहां तक तेलंगाना का सवाल है वहां भाजपा ने 119 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे जिनमे से सिर्फ एक ही जीत पाया है। टीडीपी ने तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से चुनावी गठबंधन किया था जिसमें सीपीआई, जनसेना आदि शामिल हो गए थे। मगर यह गठजोड़ सत्ता प्राप्त करने में विफल रहा है। समाचारपत्र ने कहा कि टीआरएस को पुनः सता में लाने में ओवैसी भाईयों का प्रमुख हाथ है।

इंकलाब (14 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि पांच राज्यों के चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है कि देश की बहुसंख्यक जनता लोकतंत्र की समर्थक है और वह साम्प्रदायिकता के विरोध में है। यही कारण है कि इन चुनावों में जनता ने भाजपा और संघ की नफरत फैलाने वाली राजनीति को ठुकरा दिया है। तेलंगाना में टीआरएस और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठजोड़ को भाजपा ने अपना निशाना बनाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय मुद्दे उठाने के बजाय अली और बजरंग बली जैसे बयान दिए। जिसका नतीजा हुआ कि तेलंगाना से भाजपा का सफाया हो गया।

अखबार मशरिक (12 दिसम्बर) ने अपने सम्पादकीय में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली सफलता की बधाई दी है। समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण हारी है। इसके अतिरिक्त उसने जनता से चुनाव से पूर्व जो वायदा किए थे वह पूरे नहीं किए। मिजोरम में भाजपा केवल एक ही सीट पर विजय प्राप्त कर सकी है।

हमारा समाज (14 दिसम्बर) के अनुसार चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत ने भाजपा के कांग्रेस मुक्त सपने को चकनाचूर कर दिया है। पांच राज्यों में इनके नेताओं ने जो नफरत की आंधी फैलाई थी वह भाजपा को महंगी पड़ी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि में हुई हार ने उसका दम निकाल दिया है। तीन हिन्दी भाषी प्रदेशों जो कि कभी भाजपा के गढ़ समझे जाते थे। वहां पर भाजपा की हार ने मोदी और शाह की नींद जरूर हराम कर दी है। छतीसगढ़ में अजीत जोगी जो किंगमेकर बनने का सपना देख रहे थे उन्हें जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया है। इन चुनावों के बाद देश में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनने की सम्भावनाओं में वृद्धि हो गई है। जिसमें मायावती और अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के विभिन्न गुटों में तालमेल स्थापित करने में सफल होगा। समाचापत्र ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस को जो मत प्राप्त हुए हैं उसमें कोई भारी अन्तर नहीं है। हालांकि जीत भले ही कांग्रेस की हुई हो लेकिन मुकाबला आसान नहीं रहा है। तेलंगाना में टीआरएस को जो भारी विजय प्राप्त हुई है उससे भाजपा को गहरा धक्का लगा है जो कि दक्षिण भारत में अपने पैर फैलाने की सोच रहा था।

VI

हज पर समझौता

हमारा समाज (14 दिसम्बर) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सउदी अरब के हज मामलों के मंत्री डॉ. मोहम्मद सलेह बिन ताहेर 2019 के हज के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने सउदी अरब सरकार से मांग की है कि भारत के लिए हाजियों के कोटे में वृद्धि की जाए। नकवी ने कहा कि 2019 के हज के लिए भारत की हज कमेटी को 2,47,000 प्रार्थना-पत्र मिले हैं। इनमें से 47 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि 2018 में हज सब्सिडी के बिना 1,75,025 भारतीयों ने हज यात्रा की। जिनमें 48 प्रतिशत महिलाएं थीं। उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र देने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। 2019 के हज के लिए 1,36,000 अनुरोध ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हज शुरू होने से तीन माह पूर्व ही भारत सरकार हज से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर लेगी ताकि हाजियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके। भारत सरकार हाजियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभी से व्यापक योजना बना रही है।

विश्व

I

आसिफ अली ज़रदारी के जेल जाने की सम्भावना

सियासत (25 नवम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के बहुचर्चित स्तम्भकार इम्तियाज मतीन ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान पीपुल्स् पार्टी के अध्यक्ष और बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली ज़रदारी को किसी भी दिन आर्थिक हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेखक ने कहा है कि पाकिस्तान पीपुल्स् पार्टी और ज़रदारी यह समझ चुके हैं कि अब उनको निशाना बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार उनके कई नजदीकी लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके घरों, कारखानों और दफ्तरों में छापे मारे गए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्साा है या फिर राजनीतिक बदले का शिकार बनाया जा रहा है?ज़रदारी ने एक साक्षात्कार देते हुए बताया कि मैं पहले भी 11 वर्ष जेल काट चुका हूं और अब भी उसके लिए तैयार हूं। अभी तक मेरे खिलाफ एक भी आरोप मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध नहीं कर सके हैं। इससे पूर्व सेना मियां नवाज शरीफ और उनके परिजनों को देश की दौलत बाहर भेजने के आरोप में जेल भिजवा चुकी है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार सेवानिवृत होने वाले हैं और संकेत कर चुके हैं कि सेवानिवृत होने से पूर्व पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं के बारे में विचाराधीन मुकदमों पर फैसला करके जाएंगे। पकिस्तान में आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है। बैंक घोटाले का केन्द्र बने हुए हैं। गत एक सप्ताह में बैंकों की साइट हैक होने के बाद करोड़ों रुपए की धनराशि लोगों के खातों से निकाली जा चुकी है। जांचकर्ता विभाग के अनुसार पाकिस्तानी बैंकों में अब तक 40 हजार से अधिक फर्जी खातों का पता लगाया जा चुका है। इन खातों में खरबों रुपए का कालाधन रिक्शा वालों, मजदूरों, घरेलू कर्मचारियों, छोटे-मोटे दुकानदारों के नाम पर जमा किया गया और उस धनराशि से विदेशों में बहुमूल्य सम्पति खरीदी गई। देश में भी सम्पति में काफी घोटाला हुआ है और कालेधन का इस्तेमाल सम्पति के साथ-साथ महंगी कारें खरीदने के लिए भी किया गया है। पाकिस्तान में कालेधन की अर्थव्यवस्था व्यापक पैमाने पर चल रही है। इन दिनों पाकिस्तान के बड़े नगरों में अतिक्रमणों को हटाने के नाम पर जबर्दस्त तोड़फोड़ हो रही है। हालांकि इससे आम नागरिक खुश हैं। लेकिन जिनकी दुकानें, होटल, घर और हॉल तोड़े जा रहे हैं वे इमरान खान सरकार को कोस रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हम बेरोजगार हो जाएं। इससे वे लोग अच्छे थे जो हफ्ता लेने के बाद रोजी-रोटी कमाने दे रहे थे। इस अभियान में विरोधियों को भी निशाना बनाया गया है। हाल में ही जमीयत-उलेमा ए-पाकिस्तान के नेता मौलाना फजल-उर- रहमान की एक अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि मौलाना ने ये जमीन पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से एक बड़ा इस्लामी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ली थी। मगर बाद में उन्होंने यहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की बजाय एक कारोबारी कॉम्प्लेक्स बना दिया जिससे उन्हें लाखों का मासिक किराया मिल रहा था। अतिक्रमणों को हटाने का कार्यक्रम इस्लामाबाद, लाहौर और अन्य नगरों में पूरे जोरों से चल रहा है। ये अभियान पाकिस्तान के न्यायाधीश साकिब निसार के आदेश पर शुरू किया गया। हाल में ही कराची का एक मार्केट भी इसका निशाना बना। इसका निर्माण 1899 में मल्लिका विक्टोरिया के नाम पर किया गया था। न्यायपालिका ने कराची में 6 मंजिल से अधिक उंची इमारत बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे निर्माण की कई परयिोजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। बताया जाता है कि इन परियोजनाओं से देश के कई प्रमुख नेताओं के तार जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका ने पाकिस्तान में भारतीय टेलीविज़न कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने या देखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री मियां शहबाज शरीफ तो जेल में हैं। अब उनके दोनों बेटों को भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की सम्भावना है। सरकार प्रमुख विपक्षी दल मुत्तहिदा कौमी मोहाज़ के नेताओं बैरिस्टर नसीर और पार्टी के खालिद मकबुल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं।

II

क्या विदेश में है आसिया बीबी?

अखबार मशरिक (9 नवम्बर) के अनुसार रसूल के कथित अपमान की आरोपी आसिया बीबी पाकिस्तान से रहस्यमयी तरीके से पलायन कर गई है। वह किसी यूरोपीय देश में शरण लेगी। ज्ञातव्य है कि गत दिनों न्यायालय द्वारा आसिया बीबी को दोषमुक्त करने के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन हुए थे जिनमें कई लोग मारे भी गए थे। समाचारपत्र के अनुसार आसिया बीबी को मुल्तान जेल से रिहा करने के बाद वायुयान से इस्लामाबाद भेजा गया था और इस्लामाबाद से वह अपने परिजनों के साथ किसी यूरोपीय देश की ओर प्रस्थान कर गई।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार आसिया बीबी के वकील सैफुल मलिक भी अपने जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भागकर हॉलैंड चले गए हैं। उन्होंने हॉलैंड में बताया कि वह अब पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे बल्कि यहीं रहेंगे। इससे पूर्व उन्होंने कहा था कि अगर हॉलैंड मुझे शरण नहीं देगा तो मैं पाकिस्तान लौटकर चला जाउंगा। भले ही मेरा वहां कत्ल क्यों ना कर दिया जाए।

इत्तेमाद (5 नवम्बर) के अनुसार पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शनों के सिलसिले में ढाई सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इसलिए कोई कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इनमें काफी लोग मारे जाएंगे। इसलिए हम इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाना चाहते हैं।

सियासत (12 नवम्बर) के अनुसार ब्रिटेन ने पाकिस्तानी मूल की महिला आसिया बीबी को शरण देने से इनकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि आसिया बीबी पर पैगम्बर को अपमानित करने का आरोप था और उसे हाल में ही पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप से बरी किया था। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि उसे भय है कि अगर उसने आसिया बीबी को शरण दी तो ब्रिटेन में रहने वाले 12 लाख मुसलमान उसका विरोध करेंगे जिससे अशांति पैदा होगी। ब्रिटेन की पाकिस्तानी क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष विल्सन चौधरी ने कहा कि यूरोप के दो देशों ने आसिया बीबी को शरण देने का प्रस्ताव किया है मगर इनमें ब्रिटेन शामिल नहीं है।

इत्तेमाद (12 नवम्बर) के अनुसार आसिया बीबी के वकील ने आशा व्यक्त की है कि आसिया बीबी पाकिस्तान छोड़कर जर्मनी में शरण लेना चाहती हैं। अगर जर्मनी उसे सपरिवार शरण देता है तो उसे प्रसन्नता होगी।

इंकलाब (2 दिसम्बर) के अनुसार ईसाई महिला आसिया बीबी के इशनिंदा के आरोप से बरी करने के बाद पूरे पाकिस्तान में अतिवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बाइक की ओर से जो उग्र प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था उस सिलसिले में कई सौ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान के गृहमंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें तहरीक-ए- लब्बाइक प्रमुख खादिम रिज़वी भी शामिल हैं।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (27 नवम्बर) तहरीक-ए-लब्बाइक पाकिस्तान ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए रावलपिंडी में धरणा देने की घोषणा की थी मगर सरकार ने इसे सख्ती से रोक दिया। इस तहरीक के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शफीक अमिनी का दावा है कि क्योंकि अशांति फैलने की सम्भावना थी इसलिए हमने रैली और धरने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।

हमारा समाज (9 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान के कई प्रमुख धार्मिक नेताओं ने तहरीक-ए-लब्बाइक-ए-पाकिस्तान के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। मौलाना जियाउल हक नक्सबंदी, डॉ. किरबला ऐजाज और

अल्लामा नदीम अब्बासी ने इस बात की निंदा की है कि कुछ मस्जिदों के इमामों ने कई लोगों को काफिर करार दिया है और इस सम्बन्ध में फतवे जारी करके उनकी हत्या को जायज करार दिया है।

III

अफगानिस्तान में चौदह फौजियों की हत्या

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (8 दिसम्बर) के अनुसार अफगानिस्तान के हेरात प्रदेश में तालिबान ने विभिन्न सैनिक चौकियों पर हमला करके कम-से-कम 14 फौजियों की हत्या कर दी। हेरात परिषद के सदस्य नजीबुल्लाह ने बताया कि आक्रमणकारी 21 सैनिकों को बंधक बनाकर ले गये हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात को आतंकवादियों ने दो सैनिक चौकियों पर हमला किया था और यह हमला पूरी रात जारी रहा। इस हमले में कम-से-कम 14 लोग मारे गए हैं और 21 लोगों को बंधक बनाकर ले गए हैं। जिला प्रशासन के प्रमुख हिकमतुल्लाह ने कहा है कि आक्रमणकारियों की संख्या 200 से अधिक थीं जो कि रॉकेट और मशीनगणों से लैश थे। जवाबी कार्रवाई में 30 तालिबानी आतंकवादी पारी गए हैं। ज्ञातव्य है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के विशेष दूत तालिबान से शांति वार्ता चला रहे हैं।

IV

तिलोर के शिकार की अनुमति

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 दिसम्बर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अरब शासकों को बलूचिस्तान में तिलोर नामक परिंदे के शिकार करने के लिए परमिट जारी किये हैं। ज्ञातव्य है कि तिलोर नामक परिंदा का शिकार बाज के द्वारा किया जाता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कतर के एक राजकुमार को एक लाख डॉलर फीस लेकर दस दिनों तक सौ तिलोर मारने की अनुमति दी गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जिन अरब अमीरों को शिकार करने की अनुमति दी गई है उनसे एक-एक लाख डॉलर की फीस वसूली गई है और यह परमीट विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 14 लाइसेंस जारी किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि अरब शासक भारत में भी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस परिंदे के शिकार करने के लिए आते हैं। इस परिंदे के मांस को यौन शक्ति बढ़ाने वाला माना जाता है। इन परिंदों का शिकार विशेष रूप से प्रशिक्षित बाजों द्वारा किया जाता है।

V

अमेरिकी सीनेट में सउदी युवराज की निंदा का प्रस्ताव

इंकलाब (15 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिकी सीनेट ने सउदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या का आरोपी करार देते हुए उसकी निंदा का प्रस्ताव पारित किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रस्ताव में यमन के युद्ध में सउदी अरब का साथ देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना करते हुए मांग की गई है कि अमेरिका इस युद्ध से अपना संबंध तोड़ ले। रिपब्लिकन सांसदों ने सउदी अरब के युवराज का निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और सउदी अरब सरकार से मांग की गई कि इस पत्रकार के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि सउदी

अरब में महिलाओं के अधिकारों की मांग को लेकर जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। आर्थिक व सामाजिक कार्यों को नई गति दी जाए। प्रस्ताव में सउदी अरब को चेतावनी दी गई है कि अगर उसने रूस और चीन से अस्त्र-शस्त्र खरीदे तो उसका प्रभाव सउदी और अमेरिकी संबंधों पर पड़ेगा। सांसदों का विचार है कि इस पत्रकार की हत्या में सउदी अरब के युवराज का सीधा हाथ है और अगर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो अदालत उन्हें आधे घंटे के अंदर ही आरोपी घोषित कर देगी। ज्ञातव्य है कि इस पत्रकार की हत्या तुर्की में स्थित सउदी अरब दूतावस के अंदर की गई थी और इसके बाद तुर्की और सउदी अरब के आपसी संबंधों में भारी तनाव आया है। समाचार में यह भी कहा गया है कि इस पत्रकार कीर हत्या का मामला उठाने वाले शाही परिवार के पांच सदस्य कई सप्ताह से गायब हैं। इस पत्रकार के एक मित्र ने दावा किया था कि यह पत्रकार सउदी अरब राजपरिवार के भ्रष्टाचार और उनके आतंकियों के साथ संबंधों में ठोस जानकारी रखता था। इसलिए उसकी हत्या की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यमन पर होने वाले हमलों से अमेरिका को अब अलग हो जाना चाहिए और ये हमले अब बंद होने चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 56 और विरोध में 41 मत पड़े।

VI

ईसाईयों द्वारा यहूदियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता

इंकलाब (11 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिका के ईसाईयों नें फिलीस्तीन में यहूदियों के पुनर्वास के लिए गत दशक में करोड़ों डॉलर की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। हॉर्टर नामक समाचारपत्र के अनुसार पिछले कुछ अवधि में अमेरिका के ईसाईयों ने 50 से 65 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता यहूदियों के पुनर्वास के लिए दी है। अमेरिका के मोलाद नामक रिसर्च ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में ईसाई फिलीस्तीन में यहूदियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। अमेरिकी ईसाई संगठन एलूबेल ने जॉर्डन में निर्माणाधीन यहूदी कॉलोनी के कार्य में सहायता के लिए अपने स्वयंसेवक भेजे थे। कई दर्जन गुप्त संगठन फिलीस्तीन में यहूदियों की सहायता कर रहे हैं। इस समय 1,700 स्वयंसेवक यहूदियों के पुनर्वास कार्य में सहयोग दे रहे हैं। ईसाईयों का यह संगठन इजरायली पत्रकारों को अमेरिका में बुलाकर उनकी सहायता करता है। कुछ माह पूर्व इजरायल के गृहमंत्री ने कहा था कि एक अमेरिकी संगठन की ओर से हाल में ही 16 हजार डॉलर सरकार को दिए गए हैं।

पश्चिमी एशिया

I

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध

इंकलाब (9 दिसम्बर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वह आतंकवाद का उदाहरण है। ईरान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और तुर्की से आने वाले पत्रकारों से वार्ता करते हुए अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की चर्चा की और उसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कदम गलत है और हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका आर्थिक रूप से ईरान को तबाह करना चाहता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान का आर्थिक विकास नहीं रूकेगा और उसे किसी संकट का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका और यूरोप के अन्य देश ईरान में आतंकवाद की ज्वाला को भड़का रहे हैं। गत 40 सालों में ऐसी घटनाओं में 17 हजार ईरानी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में अमेरिका के इशारे पर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने ईरानी संसद पर हमला किया था और इसके बाद भी अनेक घटनाएं हुई थीं। अभी हाल में ही चाबहार में आतंकवादी घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे और उससे घबराने वाले नहीं हैं।

हमारा समाज (9 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिका के दबाव पर यूरोपीय देशों ने ईरान को इस्पात की सप्लाई रोक दी है। ईरानी प्रवक्ता अहमद दीन नूर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से उन्हें यह संदेश दिया गया है कि वे फिलहाल लोहा और स्टील ईरान को सप्लाई नहीं करेंगे। अमेरिका की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी मगर ईरानी यह फैसला कर चुके हैं कि वे अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे।

II

यमन में अकाल

सियासत (12 दिसम्बर) के अनुसार यमन में इस समय दो करोड़ से अधिक लोग फाकाकसी का शिकार हैं जो कि देश की कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में भूख का शिकार होने वालों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तुरन्त कार्रवाई ना की गई तो भूख का शिकार होने वालों में 25 लाख की और वृद्धि हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उपसचिव जनरल मार्क लूकाक के अनुसार यमन में चल रहे गृहयुद्ध के कारण स्थिति दिनोंदिन बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि यमन में चार प्रदेश भुखमरी का शिकार हैं। इनमें से 50 लाख लोगों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया कि यमन के 333 जिलों में से 152 जिले खाद्य संकट से प्रभावित हैं जबकि गत दिनों इनकी संख्या 107 थी। ज्ञातव्य है कि यमन में युद्ध की शुरुआत 2014 में हुई थी जबकि ईरान समर्थक हव्वासी विद्रोहियों ने राजधानी साना पर कब्जा करके मंसूर हादी सरकार का तख्ता पलट दिया था। 2015 से सउदी अरब सरकार की सेना विद्रोहियों से संघर्षशील है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। हव्वासियों ने जो मिसाइल चलाए थे उनके कारण अनेक जहाज उनका शिकार बने जिनसे मरने वालों की संख्या दस हजार से अधिक बताई जाती है।

III

खशोग्गी की हत्या का वीडियो

इंकलाब (11 दिसम्बर) के अनुसार अरबी मूल के पत्रकार जमाल खशोग्गी के अंतिम क्षणों का एक ऑडियो-वीडियो सामने आया है। वीडियो में पत्रकार अपने हत्यारों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके अंतिम शब्द हैं, 'मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूं'। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोग्गी की 2 अक्टूबर को अचानक मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत मारा गया था। इस वीडियो के अनुसार हत्यारों ने सउदी अरब में बैठे अपने अधिकारियों को इस बात के लिए सूचना दी थी कि उन्होंने इस पत्रकार की हत्या कर दी है। सउदी अरब के विदेश मंत्री ने पत्रकार के हत्यारों को तुर्की सरकार के हवाले करने से इनकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन ने इन हत्यारों को तुर्की को सौंपने की मांग की थी मगर सउदी सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। सउदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अपने नागरिकों को किसी अन्य सरकार के हवाले करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। तुर्की सरकार ने उन 15 सउदी अरब के नागरिकों के नाम वारंट जारी किए हैं जिनके बारे में संदेह है कि उन्होंने इस पत्रकार की हत्या की है।

IV

इजरायल पर ओमान की कृपा

इंकलाब (11 दिसम्बर) के अनुसार ओमान ने इजरायल के विमानों को अपने देश की वायु सीमा के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस बात की घोषणा इजरायल के प्रधानमंत्री ने की है। नेतन्याहू ने विदेश मामलों की समिति की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि ओमान के सुल्तान ने इजरायल की सरकारी एयरवेज को अपने देश की वायु सीमा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अरब देशों के साथ संबंधों को सुधारने में इजरायल द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर माह में ओमान का दौरा किया था और इस दौरे की दावत ओमान के सुल्तान ने दी थी। समाचारपत्रों के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री कई अन्य अरब देशों के साथ गुप्त सम्पर्क में हैं। हालांकि ओमान के साथ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हैं। इजरायल के मैत्री संबंध सिर्फ मिस्र और जॉर्डन के साथ हैं।

V

लीबिया में जिहादियों द्वारा हत्याएं

इंकलाब (11 दिसम्बर) के अनुसार इस्लामी उग्रवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने लीबिया में दो माह पूर्व बंधक बनाए गए 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी है। लीबियाई सरकार ने इस समाचार की पुष्टि की है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अक्टूबर माह में आईएस द्वारा लीबिया में हमला किया गया था जिसमें 5 लोग मारे गए थे और 10 लोगों को बंधक बनाकर उग्रवादी ले गए थे। जिसके बाद में 6 अन्य लोगों की हत्या कर दी गई। आईएस ने दावा किया है कि उसने लीबिया के अनेक सैनिकों को बंधक बनाया है और उनमें से कई लोगों की हत्या कर दी है और उनके घरों को आग लगा दी गई है।

इंकलाब (2 दिसम्बर) के अनुसार अमेरिका की अफ्रीकी कमान ने लीबिया में हवाई हमले करके अलकायदा के 11 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए लोगों का संबंध अलकायदा अल मगरब नामक संगठन से बताया जाता है। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी रहेगा।

अन्य

I

निशाने पर गिरिराज सिंह

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 नवम्बर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद को आतंकवादी अड्डा बताने पर मौलाना असरारुल हक कासमी ने गिरिराज सिंह की निंदा की है और मांग की है कि वे अपने बयान को वापस लें व सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कासमी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि इस देश का मुसलमान इस तरह के बेहूदा और बेबुनियाद आरोपों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कासमी ने कहा है कि दारूल उलूम देवबंद हमेशा देशभक्ति का केन्द्र रहा और इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों ने देश में आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि ये बयान राजनीतिक शोशेबाजी हैं और इसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है। ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाल में ही देवबंद आए थे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि किसी गुरुकुल से कोई आतंकवादी नहीं निकला मगर बगदादी और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी दारूल उलूम देवबंद जैसे संगठनें से निकलते हैं। उन्होंने दारूल उलूम देवबंद को आतंकवादियों का अड्डा बताया था। इसी समाचारपत्र में सहारनपुर के कई मुस्लिम नेताओं के वक्तव्य भी प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं जिनमें गिरिराज सिंह के बयान की निंदा की गई है और सरकार से मांग की गई है कि वे इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि वे इस तरह के गैर-जिम्मेवार बयान देकर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं।

इंकलाब (30 नवम्बर) ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रचार कर रहे हैं। इसी कारण से वे प्रतिदिन किसी ना किसी मुस्लिम संस्थान के खिलाफ जहर उगल देते हैं। अब उन्होंने दारूल उलूम देवबंद को आतंकवाद का अड्डा करार दिया है।

अखबार मशरिक (29 नवम्बर) के अनुसार गिरिराज सिंह ने मांग की है कि देवबंद का नाम बदलकर देववृन्द किया जाए।

II

संघ के खिलाफ दुष्प्रचार

साप्ताहिक नई दुनिया (3 दिसम्बर) ने मुख्य पृष्ठ पर बाबरी मस्जिद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, 'अयोध्या की चिंगारी, हिन्दुस्तान को आग लगाने की तैयारी, आरएसएस की खुली धमकी, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी'। 'शाहिद सिद्दीकी बेनकाब कर रहे हैं संघ परिवार का एक तीर से कई शिकार करने की योजना।' शाहिद सिद्दीकी ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि आज अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में समाचारपत्र ने दो वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव राम मंदिर के बल पर लड़ेंगे। समाचारपत्र ने लिख दिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व सरकार राम मंदिर बनाने के लिए संसद में कानून लाएगी और जब कानून पस नहीं होगा तो इसकी जगह अध्यादेश लाया जाएगा। मोदी जानते हैं कि उनके सामने अब राम का नाम है। 25 नवम्बर को जो भीड़ जमा हुई, जो नारे लगे उसकी योजना स्वयं मोदी और अमित शाह ने बनाई थी। नागपुर में 25 नवम्बर को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सब्र का पैमाना भर जाने का जो नारा लगाया था उसके पीछे पूरे संघ परिवार की योजना थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाकर जो तलवार लहराई वह भी इसी गठजोड़ का हिस्सा था। अयोध्या में संघ के नेता कृष्ण गोपाल ने साफ कह दिया है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद संघ परिवार चैन से नहीं बैठेगा। वे तब तक नहीं रूकेंगे जब तक काशी और मथुरा की

मस्जिद को ध्वस्त करके मंदिर नहीं बना लिए जाते। उन्होंने साफ कहा कि काशी और मथुरा एक नारा ही नहीं बल्कि संघ परिवार की योजना का भाग है। नागपुर से अयोध्या तक और इलाहाबाद के कुम्भ मेला व 2019 के लोकसभा चुनाव तक मोदी के तीन लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे देश में मंदिर का माहौल बनाकर जनता की जनभावना को भड़काकर सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव डाला जाएगा कि वह हिन्दू भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करते हुए अपना फैसला हिन्दुओं के पक्ष में दें। संघ प्रमुख स्पष्ट कर चुके हैं कि उसे जमीन की मलकीयत का निर्णय नहीं करना बल्कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला करना है। संघ परिवार को विश्वास है कि देश में आमागी 3–4 महीने में राम भक्ति का ऐसा वातावरण बनेगा और नफरत की आग भड़केगी जिसके परिणामस्वरूप भाजपा एक बार फिर 300 से अधिक सीटें प्राप्त कर लेंगी। दूसरा लक्ष्य, विपक्षी दल हैं। कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने संघ के सरसंघचालक से भेंट करके उन्हें बता दिया है कि कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में नहीं हैं और मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। अब कांग्रेसी खुलेआम कह रहे हैं, 'ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, बाबरी मस्जिद नरसिम्हा राव ने तुड़वाई और राम मंदिर भी हम ही बनाएंगे।' तीसरा निशाना 2019 का चुनाव है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मोदी सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश लाएगी और संसद में राम मंदिर से संबंधित कानून के पास ना होने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को दोषी ठहराएगी। भाजपा की योजना है कि अयाध्या विवाद को इतना उछाला जाए कि मोदी सरकार की विफलताओं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विफल नोटबंदी पर पर्दा पड़ जाए और देश में सिर्फ राम मंदिर पर ही चर्चा हो। 2019 में राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत हो जाएगा और संसद में बहुमत के बाद संघ परिवार अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा। काशी और मथुरा में मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाने का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चलाया जाएगा। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ मिलकर हर लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर आंदोलन चलाने और जनसभा आयोजित करने का कार्यक्रम बना लिया है। प्रत्येक सीट पर टोलियां बनाई जाएंगी जो कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगे।

अब संसद का अधिवेश शुरू हो रहा है और उसमें राम मंदिर बिल पेश किया जा रहा है। इसे सरकार से नहीं बल्कि किसी प्राइवेट सदस्य से पेश करवाया जाएगा। आने वाले कुछ महीने भारतीय राजनीति में बहुत हंगामे वाले होंगे। देश की रगों में ऐसा जहर फैलेगा जिसे दूर करने में दशकों लग जाएंगे।

III

नगर निगम के कर्मचारी पर हमला

इंकलाब (30 नवम्बर) के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों पर जामा मस्जिद के नजदीक कुछ लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे अतिक्रमण हटाने के लिए घटनास्थल पर गए थे। जान बचाने के लिए निगम के कर्मचारी ट्रक छोड़कर भाग गए। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने इस संदर्भ में दो लोगों को हिरासत में लिया था। जिन्हें जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पुलिस पर दबाव डालकर छुड़ा लिया। अतिकमण करने वाले लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद के शाही गेट की ओर जब वह पटरियों पर अपना सामान बेच रहे थे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए निगम के कर्मचारी पहुंच गए। अतिक्रमण करने वालों का आरोप है कि निगम के कर्मचरियों ने फुटपाथ पर बेची जा रही कुरान और अन्य इस्लामी पुस्तकों को भी उठाकर अपने ट्रक में डाल लिया था। इस्लामी पुस्तकों के अपमान की आड़ लेकर वहां पर काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने ट्रक पर हमला करके उसके शीशे आदि तोड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में ले लिया। शाही इमाम मुसलमानों की एक भीड़ लेकर पुलिस थाने पहुंच गए और भीड़ ने थाने को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। शाही इमाम ने जामा मस्जिद से लाउडस्पीकर पर पुलिस और नगर निगम को धमकाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने घबराकर पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया।

IV

तब्लीगी जमात का इज्तिमा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (11 दिसम्बर) के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में तब्लीगी जमात द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा का आयोजन किया गया। जिसमें 15 लाख मुसलमानों के भाग लेने का दावा किया गया है। इस इज्तिमा के लिए तीन हजार एकड़ भूमि सरकार ने अलॉट की थी। इस इज्तिमा के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को बधाई दी है और कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों के उत्थान के लिए जो प्रयास कर रही है उसका उदाहरण देश के अन्य किसी राज्य में नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश के मंत्री मोहम्मद फारूक ने इज्तिमा से संबंधित प्रबंधों का मौके पर जाकर निरीक्षरण किया। सरकार ने इस महासम्मेलन के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दिया था और 30 लाख लोगों के बैठने के लिए 140 एकड़ भूमि पर 50 लाख स्क्वॉयर वाला टेंट लगा था। विधायक एसवी मोहन रेड्डी ने कहा कि यह ऐतिहासिक इज्तिमा है। सरकार ने पहली बार किसी धार्मिक आयोजन के लिए इतनी बड़ी रकम स्वीकार की है। इस सम्मेलन में 13 देशों के लोगों ने भाग लिया और यह आयोजन 40 दिनों तक चला। इसका उदेश्य इस्लाम का प्रचार करना और धर्मांतरण का अभियान चलाना है।

इंकलाब (12 दिसम्बर) के अनुसार मुस्लिम नेता सैयद मसूद अली ने गत दिनों बुलंद शहर में हुए तब्लीगी इज्तिमा के प्रबंधकों को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने की आलोचना की है और उसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हालांकि प्रबंधकों ने दो लाख लोगों की इस इज्तिमा में दाखिल होने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी मगर अब यह संख्या क्यों और ज्यादा हो गई थी? इसीलिए उसकी आड़ में प्रबंधकों पर किसी भी तरह का जुर्माना लगाना सरासर गलत है। उन्होंने दावा किया कि इस इज्तिमा में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई इसलिए प्रबंधकों को नोटिस देना गलत है।

इंकलाब (4 दिसम्बर) के अनुसार बुलंद शहर में तब्लीगी जमात द्वारा एक इज्तिमा का आयोजन किया गया जिसमें प्रबंधकों के अनुसार 20 लाख लोग शामिल हुए। यह समारोह तीन दिन तक जारी रहा और इसके बाद तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की दुआ के बाद खत्म हुआ। शांति व्यवस्था बनाने के लिए मेरठ के पुलिस महानिदेशक रामकुमार पूरे समय बुलंदशहर में डेरा डाले रहे। आयोजकों के अनुसार शिव मंदिर कमेटी के प्रबंधक कन्हैया लाल शर्मा ने नमाज पढ़ने के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। मगर गोहत्या के आरोप में हुए दंगों के कारण इज्तिमा के समाचारों को मीडिया ने प्रमुखता से नहीं छापा। प्रबंधकों के अनुसार 15 देशों के प्रतिनिधि इस इज्तिमा में शामिल हुए थे और इसका आयोजन तब्लीगी जमात ने मुस्लिम जनता के सहयोग से दरियापुर नामक गांव में किया था। इस इज्तिमा में भाग लेने वाले लोग अपने अपने वाहनों से पहुंचे थे।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 दिसम्बर) के अनुसार इस इज्तिमा में शामिल होने वाले लोगों के लिए मार्ग में मुसलमानों ने हजारों शिविर लगाए थे। जिनमें उन्हें खाने पीने का सामान मुफ्त सप्लाई किया गया।

V

कोलकाता का पहला मुस्लिम मेयर

इत्तेमाद (23 नवम्बर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के नागरिक विकास मंत्री फरहाद हकीम को कोलकाता का नया मेयर नियुक्त किया गया है। वे कोलकाता नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के नेता भी होंगे। ममता बनर्जी के निर्देश पर सूदन चटर्जी ने महापौर के पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के मंत्रिमंडल से भी त्यागपत्र दे दिया है। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हकीम नगर के पहले मुस्लिम मेयर हैं। यतीन घोष को इकबाल अहमद के जगह उपमेयर नियुक्त किया गया है। यतीन ने कहा है कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और नगर के विकास के लिए कार्य करूंगा। ममता बनर्जी ने इस बात का खंडन किया है कि हकीम के मेयर नियुक्त किये जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में किसी भी तरह का मतभेद हुआ है।

VI

दिल्ली में कब्रों की समस्या

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (8 दिसम्बर) के अनुसार दिल्ली के कब्रिस्तानों में अब मुर्दे दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने राजधानी में मुर्दों को दफनाने के लिए स्थान उपलब्ध न होने का मामला उठाया था। मटियामहल क्षेत्र के विधायक आसिम अहमद खां ने राजधानी में यह अभियान चलाने का फैसला किया है कि कोई भी मुसलमान अपनी कब्र को पक्का न बनाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कब्रों के लिए अब बहुत सीमित जगह बची है इसलिए हमें कब्रिस्तानों का इस्तेमाल सोंच समझ कर करना चाहिए। मुसलमानों को पक्की कब्रें बनाने से बचना चाहिए क्योंकि पक्की कब्रों के कारण वहां पर और मुर्दे नहीं दफनाए जा सकते। ज्ञातव्य है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद मुसलमानों को अपने शवों को दफन करने के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल पाएगी। यह आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के कई कब्रिस्तानों के प्रबंधक मुर्दे दफनाने के लिए मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस वक्त 704 कब्रिस्तान हैं मगर इनमें से सिर्फ 130 कब्रिस्तानों में ही मुर्दे दफन किए जा सकते हैं। शेष कब्रिस्तानों पर या तो भूमाफियाओं ने कब्जा करके नई कॉलोनियां बसा दी हैं या उनमें सारी जगह भर चुकी है इसलिए नई कब्रें बनाना संभव नहीं है। 16 कब्रिस्तानों का विवाद अदालतों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण विधायक का विकास बजट कब्रिस्तानों पर खर्च नहीं हो रहा है। उन्होंने कब्रिस्तान मेदियां के प्रबंध समिति से अनुरोध किया कि वे भविष्य में किसी भी व्यक्ति को पक्की कब्र बनाने की अनुमति न दें।

VII

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति नियुक्त

इंकलाब (3 दिसम्बर) के अनुसार बोहरा प्रमुख डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दूसरी बार कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। जबकि छतारी के नवाब सैयद अहमद को प्रो-वाइस चांसलर मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त इब्बन सिना अकादमी के अधयक्ष प्रो. सैयद जिल्लुर रहमान को विश्वविद्यालय का अवैतनिक कोषाधयक्ष मनोनीत किया गया है। यह फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट में किया गया। जिसमें कोर्ट के एक सौ से अधिक सदस्य शामिल हुए। विश्वविद्यालय के रजिस्टार मोहम्मद अब्दुल हमीद की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार इन तीनों पदाधिकारियों की अवधि तीन वर्ष की होगी। उपकुलपति प्रो. तारिक मंसूर ने आशा व्यक्त की है कि इन अनुभवी व्यक्तियों के निर्देशन में विश्वविद्यालय और उन्नति करेगा। कोर्ट की बैठक में सांसद हसन देहलवी, केसी त्यागी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. अमान रिज़वी, कमाल फारूकी, मुराजुदीन अहमद, सिराजुदीन कुरैशी, एसएम खान, जफर इकबाल, सैयद जफर महमूद आदि ने भाग लिया।

VIII

चालीस लाख मुसलमानों के सिर पर लटकी तलवार

साप्ताहिक नई दुनिया (17 दिसम्बर) ने शिकायत की है कि असम में रहनेवाले 40 लाख मुसलमानों के सिर पर उनके घरों से निकाले जाने की तलवार लटक रही है। वे कहां जाएं? कौन उनकी बात सुनेगा? इनकी समझ में कुछ नहीं आता। ये हिन्दुस्तान में पैदा हुए यहीं

पले बढ़े। उनसे यह कहा जा रहा है कि वे यहां के रहने वाले नहीं है बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं। इस कारण इन 40 लाख लोगों पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। उन्हें असम का नागरिक मानने से इनकार किया जा रहा है। उनलोगों में लाखों के नाम मतदाता सूची में रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड बने हुए हैं। कई लोगों के पासपोर्ट भी हैं। फिर भी उन्हें हिन्दुस्तानी मानने से इनकार किया जा रहा है। असम के नागरिक रजिस्टर के मामले को पुरानी सरकारें टालती आ रही थीं। मगर भाजपा के सत्ता में आने के बाद इन मुसलमानों को घर से बेघर करने का अभियान तेज हो गया है। जो लोग नागरिकता से वंचित किये जा रहे हैं उनमें कई हिन्दू भी हैं। दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में डेडलाइन खत्म हो रही है। इन 40 लाख लोगों को दस्तावेज दिखाकर अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने होंगे। अब तक इन में से केवल 7 लाख लोग ही अपने नाम दर्ज करवा पाए हैं। सवाल है कि जिन लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा वे कहां जायेंगे?और कहां रहेंगे?बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बांग्लादेश से निकाले जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने देश में दाखिल नहीं होने देगी। क्योंकि वे वहां के नागरिक नहीं है। उनकी हालत रोहिंग्या जैसी हो जाएगी जिनका न घर है न घाट। असम में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नागरिक सूची बनाने का कार्य 25 सितम्बर को शुरू हुआ था जिसकी अवधि 25 दिसम्बर को समाप्त हो रही है। मगर अभी तक 40 लाख लोग इस सूची में अपने नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं। कुछ लोग अपने नाम दर्ज करवाने का जब प्रयास किया तो उनके दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया। 48 वर्षीय हनीफ अली दो पीढ़ियों से असम में रह रहा है। उसका दावा है कि 1951 की राष्ट्रीय नागरिक सूची में उसके दादा मुकर्रम अली का नाम था। मगर इस बात को अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि इस सूची में हनीफ और उसके परिवार के 20 सदस्य शामिल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय नागरिक सूची का प्रारूप 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। इसमें दो करोड़ 90 लाख लोगों के नाम शामिल थे। जबकि 3 करोड़ 39 लाख लोगों ने नाम दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे। मगर 40 लाख लोगों के नाम उसमें दर्ज नहीं किए गए। यह एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। ये लोग भाजपा और असम गण परिषद सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं।

असम में होने वाले पंचायत चुनाव 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। सवाल यह है कि जो लोग नागरिकता से वंचित किए जाएंगे वे कहां जाएंगे?इस सवाल का कोई जवाब नहीं है।

असम गण परिषद का कहना है कि बांग्लादेश से आने वाले सभी व्यक्तियों को बाहर निकाला जाए। मगर भाजपा सिर्फ मुसलमानों को ही बाहर निकालना चाहती है। उसका इरादा हिन्दुओं को नागरिकता देने का है। जिन 40 लाख लोगों पर नागरिकता से वंचित किए जाने के तलवार लटक रही है उनमें दस लाख हिन्दू भी शामिल हैं।

IX

दरगाह में लाखों रूपये की धोखाधड़ी

इंकलाब (12 दिसम्बर) के अनुसार जिला बिजनौर स्थित दरगाह-ए-आलिया नजफ-ए-हिन्द जोगीपुरा में शिया वक्फ बोर्ड के प्रबंधक सैयद कैशर बाकरी के खिलाफ मुसमलानों ने प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाया कि प्रबंधकों ने दरगाह में लाखों रूपये की हेराफेरी की है। दरगाह का सारा लोहा बेचकर लाखों रूपये हड़प लिये हैं। इसके अतिरिक्त दरगाह के दुकानों के किराये में भी लाखों रूपये की हेराफेरी हुई है। इन आरोपों पर पर्दा डालने के लिए दरगाह के प्रबंधक बाकरी नौ गांव सदात के एक मौलाना के साथ गठजोड़ करके नौ व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट करने की रपट दर्ज कराई है। बताया जाता है कि इस मौलाना ने 2013 में कुछ सुन्नियों के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल अपने एक भाषण में किया था। इसके बाद उन पर मजलिस में पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लोगों ने आरोप लगाया है कि जो श्रद्धालु इस दरगाह में आते हैं उनसे काफी रकम नजराने के तौर प्र वसूली जाती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

X

हरियाणा में इमामों और खादिमों के वेतन में वृद्धि

इंकलाब (13 दिसम्बर) के अनुसार हरियाणा वक्फ बोर्ड ने सारे इमामों और खादिमों के वेतन वृद्धि का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहीस खान के मुताबिक इमाम के वेतन में डेढ़ हजार रूपये की वृद्धि की गई है। अभी तक वक्फ बोर्ड के इमामों को 10500 रु वेतन दिया जाता था। अब वह बढ़कर 12 हजार हो जाएगा। इमाम कई महीनों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। और उन्होंने कई जगह प्रदर्शन भी किये थे। इसी के साथ खादिमों के वेतन में भी वृद्धि की गई है और उनकी नौकरी को पक्का किया गया है। इमामों के अंजुमन के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बासित ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो वृद्धि की है वह अपर्याप्त है क्योंकि दिल्ली में इमामों को 18-18 हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में चपरासी का वेतन 16 हजार रूपये है और इमामों को उससे कम वेतन दिया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया इमाम संगठन के इस याचिका को मंजूर किया था कि इमामों को सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बराबर वेतन दिया जाए। तब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कहा था कि आर्थिक संकट को देखते हुए इतनी धनराशि इमाम को देना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त इमाम स्थाई सरकारी मुलाजिम नहीं है।

XI

बढ़ रहे हैं तीन तलाक के मामले

इंकलाब (15 दिसम्बर) के अनुसार तीन तलाक पर पाबंदी के लिए सरकार हालांकि एक अध्यादेश ला चुकी है और इस संदर्भ में एक विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन है। संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक के खिलाफ फैसला देने के बाद इस देश के विभिन्न पुलिस थानों में तीन तलाक देने के 248 केस दर्ज किए गए हैं। जबकि जनवरी, 2017 से लेकर मीडिया में प्रकाशित सूचनाओं के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 477 है। सरकार ने स्वीकार किया कि प्रयास करने के बावजूद लोगों में तीन तलाक के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान तीन तलाक पर संशोधित बिल पारित नहीं हो पाया था। मोदी मंत्रिमंडल ने अगस्त, 2018 में बिल में तीन संशोधन किए थे जिनके अनुसार मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार दिया गया था और न्यायालय की अनुमति से दोनों पक्षों में समझौते की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त पहले व्यवस्था थी कि तीन तलाक के मामले में कोई भी व्यक्ति मुकदमा दर्ज करवा सकता है मगर नए संशोधन के अनुसार अब तीन तलाक से प्रभावित महिला या उसके विशेष नजदीकी रिश्तेदार ही केस दर्ज करवा सकेंगे। संशोधन से पूर्व तीन तलाक गैर-जमानती अपराध था और पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मगर अब संशोधित बिल में प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। पहले केस दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते का कोई प्रावधान नहीं था। अब मजिस्ट्रेट की अनुमति से समझौता किया जा सकता है।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा 8 दिसम्बर, 2018 को **'राज्य, लोकतंत्र और नागरिक समाज : बंगाल में पंथनिरपेक्षता का दमन'** पर संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में किया गया। इस अवसर पर **'मैं भी नारी हूँ : मुस्लिम महिलाओं का न्याय, सम्मान और समानता के लिए संघर्ष'** **'Triple Denial of Justice, Dignity and Equality'** पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया।

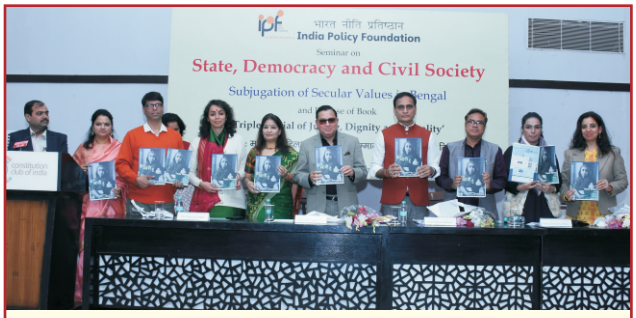

पुस्तक का लोकार्पण

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोग

न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी

काज़ी मासूम अख्तर

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org